उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्र सं. 136–ई/उपमुकाधि/निर्माण/से.नि.पुनःनियु.

दिनांकः 25.06.2018

अधिसूचना

विषय– निर्माण संगठन, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद में मुख्य का.अधी./का.अधी. जीपी–4600/4200 के पदो से सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को कार्य हेतु पारिश्रमिक आधार पर Re-engage किये जाने के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2010/RC-4/6दिनांक 27.09.2017 एवं E(NG)II/2007/RV-IV/Core/1 दिनांक 16.10.2017 के अधार पर निर्माण संगठन, उमरे, इलाहाबाद द्वारा निम्न रिक्तियों हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियो को पारिश्रमिक के आधार पर निर्माण संगठन/उमरे/इलाहाबाद में कार्य करने के लिये संलग्न आवदेन पत्र के प्रारूप में पुनः नियोजन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप अनुलग्नक "क" में दर्शाया गया हैः–

रिक्त पदो का विवरण निम्न है–

Category	Gr. Pay	HQ	ALD	CNB	ALJN	AGC-I	GWL	TOTAL
COS	4600	--	1	1	1	1	--	4
OS	4200	1	--	--	--	--	1	2

निर्धारित निम्न शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही पारिश्रमिक पर कार्य हेतु लगाया जायेगा।

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी ही आवेदन के पात्र हैं।
2. पुनर्नियोजित स्टाफ को संरक्षा सम्बन्धी सेवानिवृत्त योजना(LARSGESS) के अधीन सेवानिवृत्त नही होना चाहिए तथा जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लिए हैं/रिमूव/डिसमिस या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किये गये है या प्रोविजनल पेंशन प्राप्त कर रहे है वह Re-engage की पात्रता नही रखते है।
3. संबंधित ईकाई से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्माण संगठन की कार्यशैली से परिचित होने के कारण प्राथमिकता दी जायेगी।
4. पुनः नियोजित किए किये सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पालियों में भी प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर कार्य करना पड सकता है जिसके लिये उन्हें किसी भी प्रकार का रात्रिकालीन कार्य भत्ता नही दिया जायेगा।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों पर उनका मूल्यांकन कर्मचारी के पूर्व सेवा रिकार्ड आदि के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्तता/दक्षता उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर पुनर्नियोजित (Re-engage) किया जायेगा।
6. सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस पद से सेवानिवृत्त हुए है उन्हे उस समान पद पर Re-engage किया जायेगा।
7. सेवानिवृत्त कर्मचारी को Re-engage करते समय निर्धारित कोटि की मेडिकल परीक्षा पास करनी होगी।
8. पुनर्नियोजन (Re-engage) हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है, और Re-engage के दौरान किसी भी मामले में ऐसे कर्मचारी की आयु अधिकतम सीमा से कम से कम छह माह से कम होना चाहिए।

9. यह योजना दिनांक 01.12.2019 तक वैध है, उपरोक्त अनुदेशो की वैधता दिनांक 01.12.2019 को समाप्त हो जायेगी, यदि इस अवधि के अन्दर पर्याप्त संख्या में नियमित कर्मचारी उपलब्ध हो जाते है तो बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कोई नोटिस दिए हुये पहले भी समाप्त की जा सकती है।

10. पुनः नियुक्त कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के पत्र E(NG)II/2007/RV-IV/Core/1 दिनांक 16.10.2017 के अनुसार पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जायेगा। **(monthly remuneration of a retired employee being re-engaged by determined by reducing pension from his/her last pay drawn (i.e. Basic Pay+DA)**

11. पुनः नियोजित कर्मचारी सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कोई नोटिस दिये हटा दिया जायेगा।

12. पुनर्नियोजित **(Re-engage)** कर्मचारी वर्तमान में इस संबंध में लागू नियम/शर्तों एवं भविष्य में जारी होने वाले रेलवे बोर्ड के निर्देशों से शासित होंगे।

13. अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

14. आवेदन दो प्रतियों में भेजें। सभी सम्बन्धित प्रपत्र रेलवे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

15. दिनांक 21.02.18 द्वारा जारी मुख्य का.अधी./का.अधी. जीपी– 4200 के पदो की अधिसूचना के आधार पर दिये गये आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा। इच्छूक भूतपूर्व कर्मचारी को पुनः आवेदन करना होगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 17.07.2018 तक स्वयं कार्यालय आकर डाक अनुभाग में जमा कर सकते है, या साधारण डाक के माध्यम से नीचे अंकित पते पर भेज सकते है, दिनांक 17.07.2018 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

पता– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण कार्यालय
भागीरथी काम्पलैक्स, उ0म0रे0
सूबेदारगंज, इलाहाबाद
उ0प्र0 पिन 211001

(एच.एन. चौधरी)
उप कार्मिक अधिकारी/निर्माण

प्रतिलिपिः– 1. सभी विभागाध्यक्ष उमरे/इलाहाबाद को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
2. मण्डल रेल प्रबन्धक उ.म.रे इलाहाबाद, झांसी, आगरा
3. उप मुख्य इंजी./निर्माण/आगरा–I, आगरा–II, झांसी–I, झांसी–II, ग्वालियर, अलीगढ, कानपुर, इलाहाबाद, टूण्डला (आगरा) व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/झांसी/एमएलआर, सिथौली (ग्वालियर)
5. सचिव एनसीआरईएस/एनसीआरएमयू/एससीएसटी एवं ओबीसी एसोशिएशन उमरे/इलाहाबाद।
6. सचिव, पेंशनर एसोशिएशन इलाहाबाद, रेलवे क्वार्टर नं. 10 ट्रैफिक कालोनी अपोजिट सीपीआरओ कार्यालय बाल्मिकी चौराहा, नबाब यूसूफ रोड, सिविल लाइन, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सीएमआईटी/उमरे/इलाहाबाद को उक्त अधिसूचना एनसीआर वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
8. सूचना पट्ट।
9. Dy.CE/C/Plg
10. Dy.CE/C/Design & Sect to CAO/C

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्र सं. 136–ई/उपमुकाधि/निर्माण/से.नि.पुनःनियु. दिनांकः 22.06.2018

सूचना

विषय– निर्माण संगठन, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के विभिन्न संवर्ग के पदो से सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को कार्य हेतु पारिश्रमिक आाधार पर Re-engage किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 21.02.18

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के समसंख्यक संदर्भित पत्र दिनांक 21.02.2018 के द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में मुख्य कार्यालय अधीक्षक /कार्यालय अधीक्षक जीपी 4200 के पदों को दर्शाया गया था पदो को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है। मुख्य कार्यालय अधीक्षक/कार्यालय अधीक्षक जीपी–4200 के पदो को छोडकर अन्य सभी पदो के लिये जारी की गयी अधिसूचना की शर्ते यथावत रहेंगी। यह सर्व संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित है।

(एच.एन. चौधरी)
उप कार्मिक अधिकारी/निर्माण

प्रतिलिपिः– 1. सभी विभागाध्यक्ष उमरे/इलाहाबाद को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

2. मण्डल रेल प्रबन्धक उ.म.रे इलाहाबाद, झांसी, आगरा
3. उप मुख्य इंजी./निर्माण/आगरा–।, आगरा–।।, झांसी–।, झांसी–।।, ग्वालियर, अलीगढ, कानपुर, इलाहाबाद, टूण्डला (आगरा) व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/झांसी/एमएलआर, सिथौली (ग्वालियर)
5. सचिव एनसीआरईएस/एनसीआरएमयू/एससीएसटी एवं ओबीसी एसोशिएशन उमरे/इलाहाबाद।
6. सचिव, पेंशनर एसोशिएशन इलाहाबाद, रेलवे क्वार्टर नं. 10 ट्रैफिक कालोनी अपोजिट सीपीआरओ कार्यालय बाल्मिकी चौराहा, नबाब यूसूफ रोड, सिविल लाइन, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सीएमआईटी/उमरे/इलाहाबाद को उक्त अधिसूचना एनसीआर वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
8. सूचना पट्ट।